उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 91 / 2023

राज्य बनाम् वाहन ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं० अंकित नहीं है, Powertrac 434 Plus, Chasis No.- T053345707DF, Engine No.- E3387553 एवं अन्य के स्वामी (दो वाहन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20.08.24		

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–932 / खनन, दिनांक–05.09.2023 द्वारा रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–206 / 2023, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत (1.) वाहन ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं० अंकित नहीं है Powertrac 434 Plus, Chasis No.- T053345707DF, Engine No.- E3387553 में लदे बालू खनिज 100 घन फीट (2.) वाहन ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सं० अंकित नहीं है New Holland 3510, Engine No.- CNH87725690 DC13, Chasis No.- अंकित नहीं है में लदे बालू खनिज 100 घन फीट को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि Mines & Minerals Development & Regulation Act-1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जबकि धारा 21(4-A) में निम्न प्रावधान है. "Any Mineral, Tool, Equipment, Vehicle Or Any Other Thing Seized Under Sub-Section (4), Shall Be Liable To Be Confiscated By Any Order Of The Court Competent To Take Cognizance Of The Offence Under Sub-Section (1) And Shall Be Disposed Of In Accordance With The Directions Of Such Court." जिसके आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में आदेश पारित किया गया है कि :–

1. Only the criminal court taking cognizance of the offence is competent to pass the order of confiscation and the Deputy Commissioner has no such power.
2. Considering the fact that the Deputy Commissioner is not a competent authority to pass the order of confiscation.

Accordingly, the order dated 25.07.2023, passed by the Deputy Commissioner, Dumka in confiscation Case No.-10/2022-23 in connection with Shikaripara P.S Case No.-78 of 2022 is, hereby, quashed and set-aside.

3. Any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any district within the State of Jharkhand under the Rules is illegal and is without any authority of law and is beyond jurisdication.

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act-1957 की धारा–21(4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 20/08/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 20/08/24

उपायुक्त सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.09.27 16:55:56 +05:30
Location: 192.168.32.197